

8/9
22

पत्रावली चेरा हुई। रकम रकम कर तीन
बार आवान दिलाई गई। न तो वकील
शर्मा उप. न ही जहाकारान उप.। ऐसी
रूपी में न्यायालय उक्त शो पत्र को
आगे अंतरकार रखना उचित नहीं समझता
अतः शर्मापत्र को अदम हाजरी अदम
पैरवी में खारिज किया जाता है।
पत्रावली केसल शुमार होकर नम्बर
से कम की जाये। निर्णय आज
दिनांक 8-9-2022 को सरे अजलास
कुनाया गया।

उप स्वण्ड अधिकारी
मंगरोल जिला बारी (राज०)